>

Title: Need to restore the practice of granting assitance from Prime Minister's Relief Fund to all the seriously ill patients whose cases have been recommended by the Members of Parliament.

**श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर):** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से खास तौर से प्रधान मंत्री का ध्यान एक अहम मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री राहत कोष से विभिन्न प्रकार की आपदाओं से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। उसी प्रकार संसद सदस्यों की संस्तुति के आधार पर प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से गंभीर रोग जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी एवं लिवर रोग आदि से ग्रस्त मरीज़ों को भी आर्थिक मदद दी जाती है। पूर्व में प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सांसद द्वारा लिखे गए हर सिफारिश पत्र पर आर्थिक मदद के रूप में कुछ न कुछ धनराशि एकमुश्त स्वीकृत की जाती थी। पर अब गंभीर रोगों से प्रभावित मरीज़ों को दी जाने वाली आर्थिक मदद में कटौती कर दी गई है। प्रधान मंत्री कार्यालय ने नियम बना दिया है कि संसद सदस्य की सिफारिश पर महीने में मात्र तीन ही मरीज़ों को आर्थिक मदद दी जाएगी। ...(व्यवधान) तीन से ज्यादा एप्लीकेशन जब हो जाती हैं तो प्रधान मंत्री कार्यालय से लिखकर आ जाता है कि आपका कोटा पूरा हो चुका है। यह मामला सारे जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ है। जो भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य - अपने बाप, बेटे या भाई के लिए आवेदन देता है कि प्रधान मंत्री राहत कोष से उसे मदद दिला दी जाए, उस पर उनके यहां से पत्र लिख दिया जाता है कि हमारे यहाँ तीन से ज्यादा कोटा नहीं है। किसी का बाप, बेटा और भाई यदि मर जाता है तो वह अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को कोसता फिरता है, फोन करके गाली देता है, कहता है कि अगर आपने हमें पैसा दिला दिया होता तो हमारा बेटा, हमारा भाई और हमारा बाप नहीं मरा होता, जो पैसे और दवा के अभाव में मर गया। करोड़ों करोड़ रुपये का घोटाला हो रहा है। यह पैसा सीधे अस्पताल को भेजा जाता है, किसी सांसद के खाते में पैसा नहीं भेजा जाता कि किसी को सांसद की मंशा खराब नज़र आए कि सांसद की पॉकेट में पैसा चला जाएगा। सांसद एक गरीब की मदद के लिए प्रस्ताव यहां से भेजता है।

मैं 13वीं लोक सभा से लगातार सांसद हूँ। जब एनडीए सरकार थी तो जितने भी आवेदन भेजे जाते थे, उन सारे आवेदनों पर विचार किया जाता था और गरीब को पैसा मिलता था। जब से यूपीए सरकार बनी है, तब से रोगियों को मदद के लिए पैसा देने में भी कोटा लगाकर रखा है। तमाम हमारी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आपका कोटा पूरा हो गया है। मैं उनको क्या जवाब दूँ। अतः मेरा आसन के माध्यम से सरकार से निवेदन है, मैं सभी सांसदों की पीड़ा को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यह कोटा खत्म करिये। यदि सामी जी किसी को एक लाख रुपये दे रहे हैं तो उसे 75 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये ही दीजिए।

लेकिन हर व्यक्ति के आवेदन पर कुछ न कुछ पैसा दीजिए, जिससे क्षेत्र के लोगों को यह विश्वास जगे कि हमारे जनप्रतिनिधि ने हमारे लिए पत्र लिखा और हमारे लिए सिफारिश की और हमें कुछ न कुछ मदद दिलवायी। इसलिए आप एक-दो लाख रूपए मत दीजिए, आप 50-60 हजार दीजिए, ताकि हम लोगों की मंशा पर क्षेत्र की जनता शक न करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा):** महोदय, मैं स्वयं को तुफानी सरोज जी की बात से संबद्ध करता हूं।

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** महोदय, मैं स्वयं को तुफानी सरोज जी की बात से संबद्ध करता हूं।

**श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई):** महोदय, मैं स्वयं को तुफानी सरोज जी की बात से संबद्ध करती हूं।

**श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** महोदय, मैं स्वयं को तुफानी सरोज जी की बात से संबद्ध करता हूं।